

रैगिंग

का पूर्णतः निषेध



रैगिंग के लिए निर्धारित दण्ड
निलम्बन व निष्कासन व डिग्री का रद्द होना और दण्डात्मक कार्यवाही

सूचित करें

- शिकायत लिखित रूप में महाविद्यालय की शिकायत पेटी में डालें
- नजदीकी पी.सी.आर.वैन को सूचित करें
- विश्वविद्यालय सूचना केन्द्र पर सूचित करें
(सोमवार से शुक्रवार) प्रातः 9.00 बजे से सांय 5.30 तक
- एन्टी-रैगिंग / हिम्मत ऐप का प्रयोग करें।
- ई-मेल करें : proctor@du.ac.in
helpline@antiragging.in
infocentre@du.ac.in

सम्पर्क करें

- 2766 7221 संयुक्त नियंत्रण कक्ष (उत्तरी परिसर)
- 2411 9832 संयुक्त नियंत्रण कक्ष (दक्षिणी परिसर)
- 2700 6900 विश्वविद्यालय सूचना केन्द्र (प्रातः 9.00 बजे से सांय 5.30 तक)
- 1800-180-5522 यू.जी.सी. एन्टी-रैगिंग सहायता दूरभाष (टोल-फ्री-24x7)
- 100 पुलिस

दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर, महाविद्यालय, विभाग, छात्रावास, संस्थान में रैगिंग किसी भी प्रकार से पूर्णतः निषेध है।



कुलानुशासक कार्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय,
सम्मेलन केन्द्र, प्रथम मंजिल, दिल्ली-110007,